पथ विकास योजना से बनेंगी सिक्स लेन सड़कें

विकास योजना से पहली छह लेन सड़क सगुना मोड़ से शिवाला तक बनेगी

राज्य ब्यूरो, पटना : नई सड़कों के निर्माण को पथ निर्माण विभाग जल्द ही पथ विकास योजना को अधिसूचित करेगा। लैंड पुल सिस्टम को केंद्र में रख पथ विकास योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत पहली सड़क निर्माण को ले आरंभिक सर्वे का काम भी आरंभ किया गया है। कई बड़े शहरों में लैंड पुल सिस्टम के माध्यम से रिंग रोड का निर्माण किया गया है।

एलायनमेंट के बाद जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक

लैंड पुल सिस्टम को केंद्र में रख बन रही पथ विकास योजना का एक खास तत्व यह है कि जिस एलायनमेंट पर सड़क बननी है उस परिधि में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लग जाएगी। संबंधित एलायनमेंट का डेढ़ सौ मीटर का हिस्सा इससे प्रभावित होगा।

50-50 के अनुपात में जमीन को विकसित किए जाने का होगा करार

- सड़क निर्माण की अधिसूचना के बाद जमीन की खरीद-बिक्री पर लग जाएगी रोक

सगुना मोड़ से शिवाला तक सड़क के लिए सर्वे शुरू

पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजधानी में सगुना मोड़ से शिवाला तक इस योजना के तहत पहली छह लेन सड़क बनेगी। इसके एलायनमेंट के लिए सर्वे का काम आरंभ किया गया है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

साठ मीटर चौड़ी सड़क के लिए सौ मीटर जमीन का अधिग्रहण

पथ विकास योजना में यह व्यवस्था की गई है कि अगर साठ मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है तो उसके लिए सौ मीटर सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। सड़क के एलायनमेंट का बड़ा हिस्सा ग्रीन फील्ड का होगा। ग्रीन फील्ड से आशय यह होगा कि उक्त हिस्से में किसी तरह की सड़क नहीं होनी चाहिए।

शेष बची जमीन विकसित कर 50-50 के अनुपात में मिलेगी : नई योजना के तहत मुख्य रूप से छह लेन की सड़क विकसित की जाएगी। सड़क निर्माण के बाद जो जमीन शेष बच जाएगी उसे पथ निर्माण विभाग के स्तर पर विकसित किया जाएगा। बच गई जमीन का विभाजन पचास-पचास फीसदी के अनुपात में होगा। यानी अगर किसी किसान की एक एकड़ जमीन बच गई है तो आधा एकड़ विकसित जमीन उसे उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई किसान जमीन के बदले पैसा लेना चाहेगा तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले मुआवजे का वह हकदार होगा।